# कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर

## आदेश

क्रमांक / ~~3341~~ 2761 / वि0लि0(3) / 2017 जबलपुर दिनांक ~~03~~ 06 / 04 / 2017

श्रमायुक्त म0प्र0 इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1 / 11 / अन्वे / पांच / 2015 / 10542–10741 इन्दौर दि0 01 / 04 / 2017 के द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी एंव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु दिनांक 1 / 04 / 2017 से नई न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील की गई है।

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303 / आर / 577 / 92 / नि–5 / 4 दिनांक 30 जून 1992 तथा म0प्र0 राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित म0प्र0 श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761 / 613 / 16–ए / 82 दिनांक 25 / 5 / 82 एवं अधिसूचना दि0 10 / 10 / 2014 के अनुशरण में, मैं महेश चंद चौधरी, (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला जबलपुर के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिको एंव कर्मचारियों हेतु संशोधित अनुसूची (क) में दर्शायें अनुसार नई पुनरीक्षित दरें जो दिनांक 1 / 04 / 2017 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन प्रभावशील होगा।

## संशोधित अनुसूची –क

म0प्र0 के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। :–(आंकड़े रूपयों में) ( **विशेष टीप अनुसार 30 दिनों विभाजित कर निर्धारित की गई है। ))**

| क्रं. | कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउन्ड अप कर दैनिक दरें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| 1- | अकुशल | 6500=00 | 216=66 | 625=00 | 20=83 | 7125=00 | 237=50 | 238=00 |
| 2. | अर्धकुशल | 7057=00 | 235=23 | 925=00 | 30=83 | 7982=00 | 266=10 | 266=00 |
| 3 | कुशल | 8435=00 | 281=16 | 925=00 | 30=83 | 9360=00 | 312=00 | 312=00 |
| 4 | उच्च कुशल | 9735=00 | 324=50 | 925=00 | 30=83 | 10660=00 | 355=00 | 355=00 |

**(1) स्पष्टीकरण :–** मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउन्ड–अप करके ही दैनिक एंव मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9–7 / 2006 / नियम / चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे

हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

**(2) विशेष टीप** :— उपर्युक्त अनुसूची —क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिये सभी कर्मचारियों एंव श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा । अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौत्री नही की जा सकेगी।

**( महेश चंद चौधरी )**
**कलेक्टर,**
**जबलपुर**

पृ0क्रं0 / 2761 / वि0लि0(3) / 2017 जबलपुर दिनांक 06 / अप्रैल / 2017

प्रतिलिपिः— 1. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

2. सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
3. श्रमायुक्त, म0प्र0 इन्दौर की ओर विभाग के पत्र दि0 01.04.2017 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
4. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
5. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
6. कलेक्टर जिला मंडला / सिवनी / बालाघाट / छिन्दवाडा / डिन्डौरी / कटनी।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
8. आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
9. सहायक श्रमायुक्त ,विजयनगर, स्टेटबैंक के पास जबलपुर।
10. जिला / सिटी कोषालय अधिकारी जबलपुर।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जबलपुर की ओर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
12. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी.कलेक्ट्रोरेट, जबलपुर की बेबसाइट http://jabalpur.nic.in/ पर प्रदर्शित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. प्रशासनिक अधिकारी, छाबनी बोर्ड कार्यालय, कैन्टोनमेंट, जबलपुर
14. अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर / पाटन / सिहोरा / कुंडम जिला जबलपुर।
15. तहसीलदार, जबलपुर / पाटन / सिहोरा / शहपुरा / मंझौली / कुंडम / पनागर जिला जबलपुर।
16. सर्व जिला विभाग प्रमुख ........................................
जिला जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।

**( महेश चंद चौधरी )**
**कलेक्टर,**
**जबलपुर**

03/4

375-**FC-3**